RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 अप्रैल, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री महेन्द्र स्वरूप को गोल्ड कार्ड प्रदान करते हुए।

हम हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के प्रति सहानुभूतिपूवर्क देखना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के चुने हुए उद्यमियों को जिनमें अधिकांश मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव है को गोल्ड कार्ड प्रदान किये। गोल्ड कार्ड धारकों को अब सरकार के किसी भी दफ्तर में प्रवेश करने की अनुमति होगी, कोई अलग पास नहीं लेना पड़ेगा व उनके द्वारा बताई गई परेशानियों पर तुरन्त विचार किया जायेगा। ऐसे कार्डों के न होने की वजह से पहले बहुत परेशानी होती थी और कई बार तो सचिवालय के अधिकारियों से मिलने का टाइम भी नहीं मिल पाता था। अब सचिवालय में प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त पास बनवाने की जरूरत नहीं रही।

आलू के क्षेत्र में यह वर्ष भिन्न प्रकार से चल रहा है। पहले खुदाई के समय अधिक वर्षा होने से आलू में विलम्ब हुआ और कुछ आलू में हानि भी हुई। अजीब अनिश्चितता का वातावरण बना रहा। आलू मजबूत रुख लेते हुए 700 से 800 रूपए कुन्तल के बीच भण्डारित होता रहा। बिजली की कमी शुरू के सीजन से ही रुला रही है। इस वर्ष तो स्थिति पिछले वर्ष से भी ज्यादा खराब है। शीतगृहस्वामी बुरी तरह से परेशान हैं और इस दुविधा में हैं कि यदि बिजली की यही हालत रही तो यह सीजन कैसे निपटेगा।

दक्षिणी प्रदेशो की कुछ माँग निकल आने से आलू स्टोरों से निकलना शुरू हो गया है जिससे भण्डारणकर्ताओं को कुछ मुनाफा भी हो रहा है। हमारी समस्त भण्डारणकर्ताओं को सलाह है कि समय देखते हुए थोड़ा–थोड़ा आलू निकालते रहे, विशेषतः वह भण्डारर्णकर्ता जिनके आलू में कुछ दागी होने की शिकायत है या मामूली अंकुरण हो रहा है।

आलू की खेती के बदलते रूप – घर की छतों पर होंगे आलू के बेल :

लखीसराय। देश में कृषि क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थान है। आये दिन कृषि वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान करते रहते है। ऐसा ही एक कारनामा बिहार में लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के ग्रामवासी किसान प्रमोद कुमार ने अपने घर पर कर दिखाया है। इस किसान ने अपने घर की छत पर आलू की लत्तर लगाई है। अंग्रेजी से स्नातकोत्तर करने के बाद कृषि के क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी रखने वाले लखीसराय जिले के प्रमोद कुमार छत पर अच्छे खासे आलू उगा रहे है। आश्चर्य की बात है कि आलू का यह लत्तर पूरे साल आलू देती रहेगी।

आलू उपजाने के लिये न जमीन की जरूरत और न इन्हें निकालने के लिये हाथों में मिट्टी लगेगी। प्रमोद अपने साथ–साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले नये–नये प्रभेदों की जानकारी स्थानीय किसानों को देकर इसका प्रयोग उन्हें अपने खेतों में करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसान पेड़ों से कद्दू तोड़ेंगे तथा आम, नींबू, आंवला और

मिर्च का ताजा स्वाद पूरे साल चखेंगे। इस जिले के हलसी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के दो वैज्ञानिकों ने प्रेमाद कुमार के घर जाकर आलू की लत्तर को देखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पठारी क्षेत्रों में लत्तर पर आलू की खेती होती है लेकिन मैदानी क्षेत्र के लिए यह नई चीज है। उन्होंने किसानों के साथ ही आमजनों को भी इस विधि से घरों में आलू उगाने की सलाह दी और कहा कि इसके लिए वह अधिक गहराई से अनुसंधान करेंगे ताकि घर–घर में आलू पैदा हो और लोग अपनी जरूरत को घर में ही पूरा कर सके। मौसम की मार होने के बावजूद इस साल आलू उत्पादन 7 फीसदी से बढ़कर 424.7 लाख टन तक पहुँचने की संभावना है। मध्य प्रदेश में इस साल आलू का उत्पादन अधिक मात्रा में होने से पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सकती है। पिछले फसल वर्ष 2011–2012 (जुलाई–जून) के दौरान आलू का उत्पादन 414.8 लाख टन था। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल 146.9 लाख टन आलू का उत्पादन होने की संभावना है। पिछले सीजन में यहाँ 141.2 लाख टन उत्पादन रहा था। पश्चिम बंगाल में उत्पादन बढ़कर 63 लाख टन होने का अनुमान है। बिहार में उत्पादन 63 लाख टन, गुजरात में 23.9 लाख टन, पंजाब में 21.2 लाख टन हो सकता है। पश्चिम बंगाल व गुजरात में उत्पादन पिछले साल के बराबर हो सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में उत्पादन कुछ मात्रा में बढ़ सकता है।

यह लेख हमें श्री हंसमुख जैन गांधी, गांधी कोल्ड स्टोरेज, इन्दौर ने भेजा है।

आलू के चिप्स बनाने की कार्य योजना :

हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन आलू का उत्पादन होता है। जिसमें से लगभग

30 लाख टन आलू सिर्फ इसलिये बर्बाद हो जाता है कि ग्रामों में कोल्ड स्टोरेज में समुचित व्यवस्था नहीं है, या परिवहन के साधन नहीं मिल पाते या उत्पादन का सही मूल्य न मिल रहा हो। अतः ऐसी स्थिति में उत्पाद का बर्बाद हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आलू के उत्पादक थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो वे अपने उत्पाद (आलू) को न केवल लम्बे समय तक संरक्षित

रख सकेंगे, अपितु उनका मूल्य संवर्धन कर अपने उत्पाद से और अधिक लाभ कमा सकेंगे। आलू से बनने वाले अनेक उत्पाद जैसे आलू के वेफर, चिप्स, स्टार्च, बाल्स फ्लोर आदि बनाकर बेचने से न केवल स्वयं को लाभ होगा बल्कि ग्राम के और कई नौजवानों के लिये ग्राम स्तर पर रोजगार की संभावनाएँ भी प्रबल होंगी। आजकल हमारे देश में सील बन्द पेकिट में मिलने वाले स्नेक्स की माँग काफी बढ़ती जा रही है इनमें अधिकांशतः उत्पाद आलू के चिप्स, केले के चिप्स या आलू के आटे से बनने वाले स्नेक्स होते हैं। बाजार की माँग को देखते हुए तथा स्नेक्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण आज हमारे देश में इन उत्पादों को बनाने वाले हजारों निर्माता मार्केट में उतर आये हैं जो कि विभिन्न स्तरों पर अपने उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन बाजार की माँग को देखते हुए अभी भी इस उद्योग में प्रगति के लिये प्रबल संभावनाएँ हैं क्योंकि सील बन्द स्नेक्स का प्रचलन अभी भी केवल शहरों तक ही सीमित है। अतः ग्रामीण क्षेत्र से नये उद्यमी भी काफी आशाएँ कर सकते हैं।

उद्यम के प्रारूप

आज हमारे देश में अलग–अलग स्तर पर इस प्रकार के उद्योग कार्यरत हैं जिनमें बड़े उद्योग, मंझले उद्योग, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग हैं। ग्राम स्तर पर यदि थोड़ी पूँजी एवं थोड़ी मशीनों से इस कार्य की शुरूआत करना है तो यह कुटीर उद्योग की श्रेणी में आयेगा। लेकिन कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल सीमित बाजार में, अल्प उत्पादन क्षमता, अधिक उत्पादन लागत एवं न्यूनतम लाभ के आधार पर काम करता है। जबकि लघु उद्योग एवं बड़े उद्योग अधिकतम लाभ एवं अधिक उत्पादन तथा कम उत्पादन लागत पर कार्य करते हैं। जो व्यक्ति उद्योग चलाने को अनुभव नहीं रखते उनके लिये इस व्यवसाय के लघु उद्योग में प्रवेश करना अत्यन्त जोखिम भरा काम हो सकता है। परन्तु ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग के रूप में कोई भी व्यक्ति जिसने किसी प्रतिष्ठित संस्थान से इस कार्य का संक्षिप्त अथवा दीर्घावधि प्रशिक्षण लिया है वह मात्र 2 लाख रूपये की पूँजी से थोड़ी सी मशीनों के साथ छोटी सी जगह में इस कार्य को प्रारम्भ कर सकते हैं। अतः यहाँ पर कुटीर उद्योग स्थापित करने की पूर्ण कार्य योजना विवरण सहित दी जा रही है। आलू छीलने वाली मशीन की कार्यक्षमता 30–35 किलो आलू प्रति घंटा होती है। अतः इससे एक कार्य दिवस के कुल 6–8 कार्य घंटों में लगभग 200 किलोग्राम आलू छीले जा सकते हैं। यदि एक माह में 25 कार्य दिवस मानें तो प्रतिमाह 5000 किलोग्राम आलू छीले जा सकेंगे। आलू की चिप्स बनाने वाली हस्तचालित या मोटर चालित मशीन की कार्यक्षमता भी 30–35 किलो आलू प्रति घंटा है अर्थात् एक माह में 5000 किलो आलू

के चिप्स बनाये जा सकते हैं। ट्रे ड्रायर की क्षमता 100 किलो आलू प्रति बैच है। एक बैच सुखाने में ढाई से तीन घंटे लगते हैं अर्थात् दिन भर में 200 किलो आलू के चिप्स सुखाये जा सकते हैं। आलू से आलू की चिप्स बनाने पर साधारण तौर पर एक किलो आलू से 200 ग्राम सूखे हुये चिप्स तैयार होते हैं।

यह लेख हमें श्री हंसमुख जैन गांधी, गांधी कोल्ड स्टोरेज, इन्दौर ने भेजा है, जो हम अपने सदस्यों को इस जानकारी के लिए भेज रहे हैं कि यदि वह छोटे स्तर पर चिप्स बनाने का कारखाना लगाना चाहे तो इस प्रकार लगा सकते हैं।

आगरा मीटिंग के सम्बन्ध में :

हम अपने सब सदस्यों को सूचित कर रहे हैं कि हर वर्ष की भाँति हम इस वर्ष भी फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग 25 जून, 2013 को आयोजित कर रहे है। इस वर्ष यह मीटिंग आगरा के होटल जे.पी. पैलेस, फतेहबाद रोड, आगरा में होगी। यह मीटिंग कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में अयोजित की जायेगी। इस मीटिंग का प्रबन्ध आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन को दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सारे सदस्य व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के सारे सदस्य व अन्य प्रदेशों के अध्यक्षों द्वारा नामित सदस्य इस मीटिंग में सादर आमंत्रित हैं। हमें आशा है कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्य इस में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेंगे। साल के मध्य में इस मीटिंग का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अनेक नये मशीनरी निर्माता इसमें हिस्सा लेने को तत्पर हुए हैं। हमारी तरफ से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ सम्मानित राजनीतिज्ञ व उच्च पदाधिकारियों को इसमें बुलाया जाये। अपने समस्त सदस्यों के लिए निम्न प्रबन्ध किए गये हैं :–

मीटिंग स्थल : जे.पी. पैलेस होटल, फतेहबाद रोड, आगरा

समय : प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

सभी सदस्यों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन व शाम की चाय नाश्ते के साथ, जे.पी. पैलेस होटल, फतेहबाद रोड, आगरा में निशुल्क होगी।

जो सदस्य रात्रि में आगरा के होटल में ठहरने के इच्छुक हैं वह अपने लिए कमरे बुक करा सकते हैं :–

1. अतिथिवन : अनुमानित किराया रू 800 प्रतिदिन
दो व्यक्ति एक कमरे में के आधार पर मय टैक्स

2. रिट्रीट : अनुमानित किराया रू 2500 प्रतिदिन
दो व्यक्ति एक कमरे में के आधार पर मय टैक्स

3. जै.पी. पैलेस : अनुमानित किराया रू 4500 प्रतिदिन
दो व्यक्ति एक कमरे में के आधार पर मय टैक्स

यदि आप कमरा बुक कराना चाहते हैं तो संपर्क करें :–

1. श्री अनुरंजन सिंह : फोन 09837017767

2. श्री संजीव मित्तल : फोन 09412255240

उपरोक्त तीनों स्थानों से मीटिंग स्थल तक पहुँचने का इंतजाम आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन द्वारा निशुल्क कर दिया जायेगा। इसके साथ ही उपरोक्त तीनों स्थानों पर ठहरने वाले सदस्यों को 24 जून, 2013 के रात्रि निशुल्क भोजन का भी इंतजाम किया गया है। इसके स्थान की सूचना आगरा पहुँचने पर दे दी जायेगी।

जै.पी. पैलेस होटल, फतेहाबाद रोड, आगरा सम्पर्क व्यक्ति श्री सुरिन्दर सिंह।

उत्तर प्रदेश में बिजली संकट :

इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बड़े बिजली संकट से गुजर रहा है जिसकी मुख्य मार शीतगृहों पर पड़ रही है क्योंकि शीतगृहों में बिजली का प्रयोग raw material की तरह होता है। इस समय कुछ वी.आई.पी. जनपदों को छोड़ कर सारे प्रदेश में 6 से 8 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो रही है। इतनी कम बिजली से शीतगृहों में तापमान बनायें रखना प्रायः असम्भव है। इसके लिए शीतगृह अपने यहाँ स्थापित जेनरेटर का भी खुले दिल से प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यह बात ध्यान करने योग्य है कि जेनरेटर एक वैकल्पिक व्यवस्था है न कि बुनियादी, इस कारण जेनरेटर पर अधिक लोड डालने से जेनरेटर भी बार–बार रिपेयरिंग माँग रहे हैं।

फरवरी व मार्च माह में वर्षा के कारण आलू की खुदाई भी काफी विलम्ब से हुई। इस कारण आलू का डारमेन्ट पीरियड जल्दी समाप्त हो गया। इन सब कारणों से आलू में अंकुरण की शिकायत पाई जा रही है। शीतगृह अपनी पूरी ताकत से इस अंकुरण को रोकने में लगे हुये हैं। समाचार पत्रों ने भी इन तथ्यों को जानने की चेष्टा की। यहाँ पर दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जो कि 17 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित हुई थी को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

बिजली कटौती की मार शीतगृह व उद्योग बेहाल

- शीतगृहों में आलू अंकुरित होने की आशंका बढ़ी
- औद्योगिक इकाइयों व वस्त्र उद्योग का घुट रहा दम

जागरण टीम, लखनऊ : अवध क्षेत्र में बिजली संकट का असर शीतगृहों और औद्योगिक इकाइयों पर पड़ना शुरू हो गया है। शीतगृहों में आलू अंकुरित होने की आशंका बढ़ गई है तो उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

फैजाबाद में घोषित व अघोषित विद्युत कटौती का असर शीतगृहों पर पड़ना शुरू हो गया है। शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाने से आलू के अंकुरित होने की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई है। साथ ही आलू के सड़ने की समस्या भी आ रही है, जिससे कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अंबेडकरनगर में 11 शीतगृह संचालित हैं। इन्हें महज दस घंटे बिजली मिल पा रही है। इसके अलावा करीब एक लाख पॉवरलूम हैं। इन्हें आठ से दस घंटे ही बिजली मिल पा रही है। कटौती के कारण जिले में वस्त्र उद्योग का दम घुट रहा है।

बाराबंकी में औद्योगिक एकल फीडर में बिजली कटौती होने से उद्योग, धंधों पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण फीडर से जुड़े अधिसंख्य शीतगृह पर्याप्त बिजली न मिलने से जनरेटर पर निर्भर हैं। इससे आलू भंडारण का खर्च बढ़ रहा है। बिजली संकट से आलू किसान भंडारित आलू की गुणवत्ता को लेकर सशंकित हैं। **सुल्तानपुर** में बिजली संकट के चलते जिले के दो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था प्रभावित है, लेकिन कई सालों से अघोषित कटौती को ध्यान में रखते हुए इनके संचालकों ने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है। उद्योग विहीन जिले में छोटे-मोटे कल-कारखानों में आपूर्ति कम होने का सीधा प्रभाव पड़ा है।

सीतापुर में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 मेगावॉट बिजली जरूरत है, जबकि 130 मेगावॉट बिजली मिल रही है। इसके चलते शहर में दस से बारह और ग्रामीण क्षेत्रों में चार से पांच घंटे की बिजली आपूर्ति मुश्किल से मिल पा रही है। इससे शीतगृह व उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे है।

लखीमपुर में बिजली कटौती के चलते शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लगे लघु उद्योग बंदी के कगार पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल चार से छह घंटे बिजली मिल रही है।

गोंडा में भी उद्योग धंधों पर विपरीत असर पड़ रहा है। छोटे हो या बड़े सभी व्यापारियों का व्यवसाय चौपट है। नगर क्षेत्र में मुश्किल से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ग्रामीण अंचलों में चार से छह घंटे आपूर्ति रही है। **बलरामपुर** में बिजली संकट की मार आम उपभोक्ताओं के साथ उद्यमियों को भी सहनी पड़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र में तीन घंटे की कटौती की जा रही है। कुटीर उद्योगों को सात से आठ घंटे ही मिल रही है। जिले में दो साल पूर्व में संचालित तीन शीतगृह बंद हो गए। **बहराइच** में आठ शीतगृह हैं। इनमें चार बहराइच शहर की सीमा में स्थित हैं। इन्हीं शीतगृहों में किसान और व्यवसायी जरूरी सामान का भंडारण करते हैं। बिजली कटौती इन्हें रुला रही है। शहर में शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज चला रहे लोगों ने उच्च क्षमता वाले जनरेटर लगा रखे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा भी हासिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल सात से आठ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। श्रावस्ती में मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति पूरी न होने से उद्योगों पर भी काफी असर पड़ रहा है।

(7) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अप्रैल, 2013

शीतगृहों के सामने कानूनी समस्या :

हमें समाचार मिल रहे है कि शीतगृहों में काफी आलू भण्डारण के लिए 15 अप्रैल, 2013 तक आता रहा है। इसके साथ–साथ वह आलू भी आया है जिसकी खुदाई मार्च के पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए थी परन्तु बार–बार वर्षा हो जाने के कारण 10/15 दिन की देरी हो गई। ऐसे आलू का डारमेन्ट पीरियड भी काफी कम हो गया। इस आलू को काफी पहले भण्डारण के लिए आ जाना चाहिए था परन्तु नहीं आ पाया। इस कारण आलू में अंकुरण की शिकायत शुरू हो गई। तीसरा कारण बिजली की कमी भी है।

इन परेशानियों को देखकर यदि शीतगृहस्वामी यह समझे कि आलू को सही अवस्था में शीतगृह में रख पाना सम्भव नहीं होगा तो वह निम्न कानूनी कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं।

हमने एक नोटिस की भाषा तैयार की है। यह नोटिस जब किसी भण्डारणकर्ता को प्राप्त हो जायेगा तो उसके बाद से शीतगृहस्वामी अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। इसका असर शीतगृह व उसके भण्डारणकर्ता के सम्बन्धों पर क्या पड़ेगा यह शीतगृहस्वामी को भी सोचना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्यवाही करनी चाहिए।

सूचानार्थ

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 17 के अनुपालन हेतु

शीतगृहों में समस्त भण्डारणकर्ताओं के सूचानार्थ :

समस्त भण्डारणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि इस समय कुछ क्षेत्रो में शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति बहुत कम हो रही है और जितनी अवधि में होती है उसमें कम वोल्टेज व बीच–बीच में बिजली की आवाजाही से शीतगृह कक्षों का तापमान सही रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जेनरेटरों की पूरी मदद के बाद भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो रही है, क्योंकि जेनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकते है, स्थाई रूप से नहीं। फिर भी शीतगृहों का प्रयत्न जारी है।

. . . क्रमशः

भण्डारणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वह अपने भण्डारित माल को शीतगृहों से तुरन्त निकालने की व्यवस्था करें। इस समय तक आलू की स्थिति बिल्कुल ठीक है, परन्तु भविष्य में यदि बिजली की सप्लाई इसी प्रकार रही तो शीतगृहों में तापमान स्थापित कर पाना असम्भव हो जायेगा।

शीतगृह का नाम :

हस्ताक्षर :

पार्टनर/मैनेजर :

शीतगृह में फल व सब्जियों के रखने के लिये विभिन्न तापमान, आर्द्रता व भण्डारण की समयावधि :

Cold Storage Conditions for Fruits and Vegetables

Commodity	Storage Temp.°C	Percentage R.H.%	Storage life
Apples	-1 to 4.5	90	3-8 Months
Apricots	-0.5 to 0.0	90-95	1-2 Weeks
Bananas Green	11.5-14.5	85-90	10-20 Days
Bananas Coloured	14-16	--	5-10 Days
Beans	4.5 to 7.5	90-95	7-10 Days
Beets	0	–	1-3 Months
Black Berries	-0.5 to 0.0	95	3 Days
Cabbage	0	90-95	3-4 Days
Carrots	0	90-98	4-5 Months

Commodity	Storage Temp.°C	Percentage R.H.%	Storage life
Cauliflower	0	90-95	2-4 Weeks
Cherries	-1 to -0.5	90-95	2-3 Weeks
Cucumber	7 to 10	45-50	10-14 Days
Dried foods	0 to 20	Low	6-12 Months
Gastic	0	–	6-8 Months
Grapes	10 to 15	85-90	4-6 Months
Geens (Leafy)	0	90-95	10-14 Days
Lemons	0 to 10	80-90	6-8 Weeks
Lemon green	11-15	–	1-4 Months
Mangoes	12-13	85-90	2-3Weeks
Melon (water)	2-4.5	85-90	5-15 Days
Mushrooms	0	90	3-4 Days
Onions	0	65-70	1-8 Months
Oranges	0 to 9	85-90	3-12 Weeks
Papayas	7	85-90	1-3 Weeks
Pears	-1-1	–	1-6 Months
Peas green	0	90-95	1-3 Months

Commodity	Storage Temp.°C	Percentage R.H.%	Storage life
Pineapples green	10 to 13	85-90	3-4 Weeks
Pineapples ripe	7	85-90	2-4 Weeks
Potatoes Process	10 to 13	90-95	5-6 Months
Potatoes Seed-Table	2 to 4	90-95	8-10 Months
Pumpkins	10 to 13	70-75	2-3 Months
Radishes	0	90-95	3-4 Weeks
Strawberries	0	–	7-10 Days
Tomatoes green	13-71	85-90	1-3 Weeks
Tomatoes ripe	7-10	85-90	4-7 Days

मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से साभार प्राप्त

विभिन्न खाद्य पदार्थ भण्डारण करने की अनुज्ञा :

हमें अनेक शीतगृहों से फोन आते रहते हैं कि अमुख पदार्थ भण्डारण कर सकते हैं या नहीं? क्या हमें आलू के अतिरिक्त अनेक पदार्थ भण्डारित करने के लिये विशेष सहमति लेनी होगी या नहीं? इस सम्बन्ध में हम अपने सदस्यों को बार–बार सूचित कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की ओर ध्यान दें, जिसके अन्तर्गत शीतगृहों को लाइसेन्स निर्गत किये जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 2 के अन्दर यह स्पष्ट दिया है कि हम कौन–कौन पदार्थ भण्डारित कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा इस प्रकार है –

2 (क) 'कृषि उत्पाद' के अन्तर्गत कृषि या उद्यान के उत्पाद, पशुपालन या मत्स्य संवर्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ हैं जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निर्मित हों। यही धारा अंग्रेजी में इस प्रकार है –

2 (a) "Agricultural Produce" includes products of agriculture or horticulture, animal husbandry or pisciculture and all articles of food or drink wholly or partly made from any one of them –

इस धारा से स्पष्ट है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो भी कृषि या उद्यान के उत्पाद, पशुपालन जैसे किसी भी प्रकार का माँस, मछली आदि, अण्डा भण्डारित कर सकते हैं। इसी के साथ इनके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ भी आते हैं।

इस सबसे स्पष्ट होता है कि हम गेहूँ, चावल, गुड़, दूध, महुआ, राब आदि भण्डारित करने के लिये उद्यान विभाग से विशेष आज्ञा लेने के लिये बाध्य नहीं हैं। इन सबको भण्डारित करने की अनुमति हमें लाइसेन्स में दी गई है।

अन्य खाद्य पदार्थ कैसे भण्डारित करें?

इस सम्बन्ध में आप नियमावली की धारा 8 का ध्यान दें जो इस प्रकार है –

8. लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।

इस धारा में विशेषतः यह निर्देशित किया गया है कि विपरीत गन्ध अथवा गन्ध विरोधी पदार्थों को एक कक्ष में न रखें, जिससे की एक पदार्थ की गन्ध दूसरे पदार्थ के स्वाद या उसके गुण पर असर डाले। इस धारा को देखने और समझने से यह लगता है कि इस धारा का तात्पर्य है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन और मिर्च, दूध, मक्खन, पनीर, मीट व मछली के साथ न रखा जाये जिससे एक की गन्ध दूसरे में समा जाये। जब तक किसी पदार्थ का असर, दूसरे पदार्थ की गुणवत्ता पर नहीं होता, एक साथ भण्डारित करने की कोई पाबन्दी नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ पदार्थ यदि एक साथ रखे जाते हैं तो वह स्वयं में सुरक्षित नहीं रह पाते क्योंकि अधिकांशतया तापमान का अन्तर होता है या आर्द्रता (humidity) का अन्तर रखना पड़ता है। जैसे आलू व गाजर एक साथ रखने से खराब हो सकते हैं। इसी प्रकार प्याज को भी अलग आर्द्रता व तापमान की जरूरत होती है।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

इस वर्ष भण्डारण रिपोर्ट गत वर्ष से अच्छी है। गत वर्ष के अनुपात में पूरे भारतवर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत भण्डारण अधिक हुआ है। पश्चिमी बंगाल में 100 प्रतिशत भण्डारण के समाचार मिल रह है।

श्री अनिल कटियार, रतन कोल्ड स्टोरेज, फर्रूखाबाद ने हमें सूचित किया है फर्रूखाबाद में करीब 80 प्रतिशत भण्डारण हुआ है। वैसा ही भण्डारण कानपुर क्षेत्र में भी हुआ है।

श्री मोहित अग्रवाल, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस ने सूचित किया है कि हाथरस जनपद में अनुमानतः 95 प्रतिशत भण्डारण हुआ है।

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भण्डारण के समय रेट सामान्यतः 800 रूपए कुन्तल का माना जा सकता है। इस समय बाजार अच्छा है और 1000 रूपए कुन्तल के आस–पास चल रहा है। शीतगृहों से निकासी होने के समाचार भी आ रहे हैं।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित